M082-JKL84

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(5) ग्राविवि/ग्रुप–5/पीएमएवाई–जी/लक्ष्य–II/2016–17 जयपुर, दिनांक 25 अक्टूबर, 2016

जिला कलक्टर,
जिला समस्त, राजस्थान,

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के शुभारम्भ की कार्ययोजना के कम मे।
प्रसंग :– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक G-20011/01/2015-RH (A/c) दि. 06.10.16, J-11012/02/2016-RH दिनांक 20.10.16 एवं विभागीय पत्र दिनांक 17.06.16, 13.07.16,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 01 अप्रेल, 2016 से इन्दिरा आवास येाजना को सुदृडीकृत कर प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण लागू की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रासगिक पत्र द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा योजना का विधिवत उद्घाटन शीघ्र किया जाना प्रस्तावित है। इस कम में विभागीय प्रासगिक पत्रों द्वारा आपको प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत जिलेवार लक्ष्य निर्धारण कर पंचायत समिति/ग्राम पंचायतवार लक्ष्य आवंटित कर योजना के विधिवत उद्घाटन से पूर्व तैयारियों हेतु अवगत कराया गया था।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा योजना का विधिवत उद्घाटन के कम में राज्य में योजना के उद्घाटन के साथ निम्नानुसार गतिविधियां सम्पादित करवायी जानी हैः –

1. वर्ष 16–17 के आवंटित लक्ष्यों के अनुसार ग्राम पंचायतवार वरीयता कम में पात्र परिवारों को स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की समाचार पत्रों के स्थानीय संस्करण में पंचायत समितिवार न्यूनतम साईज में अपील जारी करना। साथ ही ग्राम पंचायत कार्यालय/सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करावें।
2. लाभार्थी को प्रशासनिक स्वीकृति की प्रति उपलब्ध कराना।
3. SECC–2011 के आंकडों के आधार पर तैयार अनुमोदित वरीयता सूची के अनुसार वर्ष 16–17 के आवंटित लक्ष्यों के आधार पर वर्ष 17–18 व 18–19 में लाभान्वित किये जाने वाले सम्भावित परिवारों का चिन्हिकरण कर सूची में लाभान्वित वर्ष अंकन के साथ प्रदर्शित करना।
4. ग्राम पंचायत/पंचायत समितिवार वर्ष 2018–19 तक लाभान्वित किये जाने वाले परिवारो की सूचना के साथ योजनान्तर्गत वरीयता सूची का बुक–लेट के रूप में प्रकाशन किया जा कर माननीय सासंद, माननीय विधायक एवं जनप्रतिनिधियो को उपलब्ध करायी जावे।
5. लाभार्थियों को देय लाभ, लाभ की किश्तों, निर्माण के विभिन्न स्तरोंवार सामग्री की जानकारी, सामग्री के उपापन के स्त्रोत एवं निर्माण कलेण्डर/अवधि की जानकारी।
6. स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालय की स्वीकृति एवं महात्मा गांधी नरेगा से देय 90 अकुशल श्रमिक मानव दिवसों के सम्बन्ध में जानकारी।
7. क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकुल आवासों की डिजाईन की प्रति।
8. गूगल–प्ले स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध "AwaasApp" के उपयोग की जानकारी उपलब्ध करावें। मोबाईल एप उपयोग हेतु लाभार्थी के मो0 न0 आवास साफ्ट पर रजिस्टर करना आवश्यक है।
9. आवास निर्माण के लिए राशि रू. 70000/– के ऋण हेतु इच्छुक लाभार्थियों को वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग।

दिनांक 19.08.2016 को राज्य के वर्ष 2016–17 के वार्षिक एक्शन प्लान को भी अन्तिम रूप दिया गया है। जिसकी शर्तों की भी पालना निम्नानुसार सुनिश्चित करावावें :–

1. ग्राम पंचायतवार वरीयता सूची को आवाससॉफ्ट पर अपलोड करावें।
2. नेशनल कमीशन फॉर माईनोरिटी एक्ट, 1992 के सैक्शन 2(सी) नोटिफाईड अल्पसंख्यक को भी अनिवार्य रूप से स्वीकृति जारी की जावें। जिलों को उपलब्ध पात्र परिवारों के आधार पर इस वर्ग में लक्ष्य आवंटित किये गये है। यदि पात्र परिवारों की संख्या अधिक हो तो इस वर्ग के परिवारों को लाभान्वित करने हेतु लक्ष्य की मांग की जावें। अर्थात् पात्र परिवारों का पंजीयन आवंटित लक्ष्यों से अधिक कर लक्ष्य आवंटित करवा लिये जावें।
3. पॉलिथिन शीट के नीचे निवास कर रहे परिवार, भूमिहीन, आवासहीन लाभार्थियों को नियमानुसार अनिवार्य रूप से भूमि आवंटित कर लाभान्वित किया जावें।
4. सांसद आदर्श ग्राम योजना, ODF, Rurban योजना अन्तर्गत आ रही ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता से वर्ष 18–19 तक निर्देशानुसार Saturate किया जावें।
5. माह नवम्बर, 2016 तक अनिवार्य रूप से इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत अधिशेष राशि को उपयोग कर लिया जावें, अर्थात् सभी स्वीकृत, निर्माणाधीन आवास को पूर्ण करवा लिया जावें।
6. लाभार्थियों को योजना की जानकारी दिये जाने हेतु प्रशिक्षणों का आयोजन कराया जावें।
7. वर्ष 2016–17 में स्वीकृत किये जाने वाले प्रति 10 आवासों हेतु एक टैग अधिकारी अनिवार्य रूप से नियुक्त किया जावें एवं टैग अधिकारियों को निर्देशानुसार समय–समय पर प्रशिक्षण आयोजित कराया जावें।
8. लाभार्थियों के आमुखीकरण कैम्प आयोजित किये जावें जिसमें उपलब्ध कराई गई बुकलेट व आवास अधिकार कार्ड एवं अन्य सामग्री यथा लिफलेट आदि का वितरण किया जावें।
9. मैसन प्रशिक्षण हेतु लाभार्थियों का चयन कर अरावली व आईजीपीआरएस के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित कराया जावें।
10. आईआईटी नई दिल्ली के सहयोग से तैयार प्रोटोटाईप नक्शों को NIRD, हैदाराबाद से प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर विस्तृत तकमीने मय आवास निर्माण स्टेज सामग्री मात्रा के तैयार कर लाभार्थियों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण के दौरान नक्शे व तकमीने उपलब्ध कराये जावें।
11. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थी को जॉबकार्ड जारी कर मस्टररोल जारी कर, नींव स्तर तक का निर्माण कार्य पूर्ण करने पर ही प्रथम किश्त हस्तान्तरित की जावें।
12. स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय की भी स्वीकृति अनिवार्य रूप से जारी की जावें।
13. आधार कार्ड नम्बर अनिवार्य रूप से आवाससॉफ्ट पर दर्ज किये जावें।
14. वरीयता सूची के निर्धारण के तुरन्त बाद लाभार्थी के वर्तमान रहवास स्थल यानी कच्चें आवास के सम्मुख लाभार्थी का Geo Tagged Time Stamped Photo आवाससॉफ्ट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जावे।
15. इसी क्रम में लाभार्थियों एवं अन्य स्टेक होलडर्स के प्रशिक्षण, प्रचार–प्रचार सामग्री, आवासों के नक्शे आदि के क्रम में स्थानीय परिस्थितियो के अनुरूप आवश्यक उचित कार्यवाही।

अतः माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा योजना के विधिवत उद्‌घाटन के क्रम में शुभारम्भ से पूर्व उक्तानुसार कार्ययोजना तैयार कर आवश्यक कार्यवाही कराने का श्रम करे।

[signature] 24/10/16

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. वरिष्ठ शासन उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, पंरावि।
7. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
8. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन।
9. सी.ई.ओ., समस्त।
10. PD (M&E) - को website पर upload हेतु

[signature] 24/10/16
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)